भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5666
जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 मार्च, 2026 को दिया जाना है

न्यायालय और न्यायाधिकरण शुल्क संरचना संबंधी संशोधन

†5666. श्री पुरूषोत्तमभाई रुपाला :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों और न्यायपालिका के परामर्श से वर्तमान समान न्यायालय शुल्क व्यवस्था के स्थान पर मामलों की प्रकृति और मूल्यांकन से जुड़ी एक तर्कसंगत, श्रेणीबद्ध शुल्क संरचना को अपनाने पर विचार कर रही है और साथ ही अपने अधिकारों से संबंधित मामलों में दिव्यांग व्यक्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए न्यायालय शुल्क से पूर्ण छूट सुनिश्चित करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का लागत दक्षता में सुधार करने, तुच्छ मामलों के मुकदमों को हतोत्साहित करने और सरकारी खजाने पर परिहार्य वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से ऐसी संशोधित शुल्क संरचना को न्यायाधिकरणों तक विस्तारित करने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) की प्रविष्टि 3 के अधीन आती है। राज्य का विषय होने के नाते, केवल राज्य ही किसी राज्य में अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ अन्य न्यायालयों में संदाय किए जाने वाले न्यायालय शुल्क से संबंधित विधि को अधिनियमित करने या संशोधित करने के लिए सक्षम हैं। इसी तरह, अधिकरणों के लिए शुल्क संरचनाएं उनके संबंधित मूल अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित होती हैं. तथापि, सरकार सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

के अधीन, विकलांग व्यक्ति और कमजोर वर्ग वाले व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सेवाओं के हकदार हैं, जिसमें प्रक्रिया शुल्क, साक्षियों के खर्च और अन्य सभी प्रभारों जैसे कि न्यायालय फीस, स्टांप शुल्क आदि का संदाय सम्मिलित है, जो उपयुक्त मामलों में किसी भी कानूनी कार्यवाही के संबंध में संदाय या उपगत किए गए हैं, यह यथा उपबंधित है कि न्यायालय फीस केवल तभी संदाय की जायेगी जब एक निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद करने के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए आवेदन का निपटान किया गया हो और उस पर न्यायालय के आदेश अभिप्राप्त किए गए हो ।
